

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निहित पंचायत उपबंध  
(अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम) 40/1996 के धारा (4) ख, ग, घ के तहत

29

गाँव गणराज्य



ग्राम सभा श्वासपुर

पो-जादुगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)

पत्रांक... 256/18

दिनांक... 24.12.18

प्रमाणित किया जात है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी परम्परा के आधार पर जमीन का बंटवारा होना है। इसी परम्परा के आधार पर निम्नांकित जमीन का बंटवारा हुआ है।

| गाँव   | खाल सं० | प्लॉट सं०    | रकबा   |
|--------|---------|--------------|--------|
| बलरपुर | 43      | 63           | 3050   |
| इचड़ा  | 70      | 998 एवं 1000 | 23 बी० |

इस जमीन के स्वतन्त्रता से चुना माझी के नाम दर्ज है इनके नीचे पुत्र हैं।

चुना माझी

इस कुटीनामा से चर्जे चुना माझी के पारस माझी, पारस माझी, शाखा माझी, घुंशी० अर्द्ध० श्ल० आदुगोड़ा से अर्द्धित जमीन जिसका गाँव इचड़ा प्लॉट सं० 70 प्लॉट सं० 998 एवं 1000 रकबा 23 बी० जो बंटवारा से पारस माझी के हिस्सा पर है अन्य दो पुत्रों में पारस माझी एवं शाखा माझी के हिस्सा में नहीं हैं इसलिए इनके पुत्र एवं अन्य घुंशी० अर्द्ध० श्ल० में नियंत्रण के सम्बन्ध में किसी तरह की आपत्ति बाध्य नहीं आता है।

गणदीय

*Anam*  
ग्राम सभा

ग्राम-स्वासपुर पो-राखामाईन्स  
प्रखण्ड-मुसावनी, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड